न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – अक्षत कुमार सिंह, (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
11/2023	08.08.2023	07-01-2026

उनवान

1. श्री रूपा पुत्र देवा कुमावत, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

— अपीलार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्री रूपा कुमावत, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. प्यारी देवी पत्नी स्व0 रूपा कुमावत, निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. ग्राम पंचायत आटूण, पंचायत समिति सुवाणा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आटूण, जिला – भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

— प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1144 निर्णय दिनांक 20.02.2013 ग्राम पंचायत आटूण अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति–

1. अपीलार्थी अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित
2. प्रत्यर्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी संख्या. 04 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

अपीलार्थी ने अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद बोरडा पटवार हल्का गठिलाखेड़ां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता सख्या 323 में आराजी नम्बर 1106 रकबा 0 8599 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि अपीलार्थी रूपां पुत्र श्री देवा कुमावत निवासी बोरडा 1/16 हक हिस्सा निहित है, जो अपीलार्थीया जो कि जीवित है। प्रत्यर्थी सख्या 01 एवं 02 जो किं रूपा पुत्र श्री देवा कुमावत निवासी– बोरडा के वारीसान है, रूपा जो कि नारू, भूरा, लालू का भाई हे. जो कि अन्य व्यक्ति है। अपीलार्थी की उक्त आराजियात का नामान्तरणकरण भी प्रत्यर्थी संख्या 03 से मिलीभगती कर अपने अपने पक्ष में खुलवा लिया। सरहद बोरड़ा पटवार हल्का गठिलाखेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 323 मे आराजी नम्बर 1106 रकबा 0.8599 हैक्टयर भूमि जो कि अपीलार्थीया की है, अपीलार्थी का नाम एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 के पिता व पति रूपा पुत्र श्री देवा का नाम पिता का नाम, जाति हुबहु होने से अपीलार्थी जो कि जीवित होते हुए भी उसकी कृषि आराजियात का भी विरासत से नामान्तरणकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 एव 02 के नाम पर खोला है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बिना जांच पडताल किये व मनमकसूद तरीके से उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 के नाम पर दर्ज की है व उक्त नामान्तकरण फैसल किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 03 का दायित्य है कि वो नामान्तरणकरण के संबध में सम्पूर्ण जाच पड़ताल कर नामान्तरणकरण फैसल करे लेकिन बिना जांच पडताल किये ही उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी जो कि उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। हाल ही में दिनांक 30/06/2023 को पटवार हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने जाने पर नाम दर्ज नही होने की जानकारी होने पर जानकारी कर नकल हेतु आवेदनपत्र दिनांक 30/06/2023 को पेश किया व नकल दिनांक 03/07/2023 को प्राप्त हुई तब उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है तथा जानकारी की दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि 01 माह के भीतर पेश है। लेकिन आदेश की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डौन कराया जाने हेतु एवं कानूनी एतराज के लिये धारा– 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र निर्णय की दिनांक से अपील पेश करने में हुई देरी के समय कण्डौन कराया जाने हेतु अलग से प्रार्थनापत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1144 निर्णय दिनाक 20.02.2013 ग्राम पंचायत आटूण तहसील व जिला भीलवाडा का अपास्त किया जाकर ग्राम बोरडा पटवार हल्का गठिलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 323 में आराजी नम्बर 1106 रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि पुनः अपीलार्थी के नाम पर दर्ज करायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलार्थी की अपील दिनांक 08.08.2023 को दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण तहसील विपक्षी संख्या 04 तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 1517 दिनांक 24.06.2025 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि ग्राम बोरडा में रूपा पिता देवा कुमावत नाम के दो व्यक्ति है जिसमें से एक रूपा पिता देवा कुमावत की मृत्यु हो गई है व एक रूपा पिता देवा वर्तमान में जीवित है। ग्राम बोरडा के आराजी नम्बर 1106 व 1254/1 दोनो रूपा पिता देवा कुमावत के नाम दर्ज थे जो कि नामान्तकरण संख्या 1144 दिनांक 20.02.2013 से मांगी पुत्री रूपा व प्यारी पानी रूपा के नाम दर्ज हुई। ग्राम बोरडा के आराजी नम्बर 1106 रूपा पिता देवा कुमावत जो कि जीवित है परन्तु नाम व जाति एक होने से मृतक रूपा पिता देवा कुमावत के वारीसान के नाम दर्ज सहवन से हो गई है। नामान्तकरण संख्या 1144 प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में दर्ज हुआ जो कि जमाबन्दी पठन में खातेदार की मृत्यु हो जाने की वजह से दर्ज हुआ है। परन्तु मृतक व मृतक के पिता का नाम एक समान होने व जाति भी एक समान होने से गलती से आराजी नम्बर 1106 जो कि वास्तव में जीवित रूपा पिता देवा कुमावत के नाम पर थी में भी मृतक रूपा पिता देवा कुमावत के वारिसान के नाम दर्ज हो गई है इसकी पुष्टि ग्राम के मौतबिरान ने भी की है। दोनो खातेदारान का नाम पता समान होने से सहवन से दोनो आराजियात का नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है जो काबिल संशोधन के है।

अपीलार्थी अधिवक्ता अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये ग्राम बोरडा पटवार हल्का गठिलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या 323 में आराजी नम्बर 1106 रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि के दर्ज नामान्तकरण संख्या 1144 निर्णय दिनांक 20.02.2013 को अपास्त करा भूमि पुनः अपीलार्थी के नाम करने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद का प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 30.06.2023 को हुई। दिनांक 08.08.2023 को अपील पेश करते हुये अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य करने की प्रार्थना की गयी है न्याय की दृष्टि से अपीलार्थीगण को अपील में पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत आटूण द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 1144 दिनांक 20.02.2013 से आराजी नम्बर 1254/1 के खातेदार रूपा पिता देवा कुमावत के नाम पर दर्ज था जिसकी मृत्यु हो जाने पर विरासत से नामान्तकरण खोला गया। इसी ग्राम के आराजी नम्बर 1106 भी खातेदार रूपा पिता देवा कुमावत सा0 देह खातेदार के नाम पर दर्ज था किन्तु यह पृथक व्यक्ति है, दोनो खातेदारान का नाम, पता समान होने से सहवन से दोनो आराजियात का नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो त्रृटिपूर्ण है। अपीलार्थी के खाता संख्या 323 में आराजी नम्बर 1106 रकबा 0.8599 हैक्टेयर भूमि पुनः अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी की अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरती है।

—:: आदेश ::—

अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत आटुण) द्वारा ग्राम बोरडा पटवार मण्डल गठीलाखेडा तहसील व जिला भीलवाडा के नामान्तकरण संख्या 1144 दिनांक 20.02.2013 पर पारित आदेश अपास्त किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा पुनः जॉच कर अजसिरे पुनः नामान्तरण दर्ज करें, निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावें।

7/1/26

(अक्षत कुमार सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा।